-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलें में पत्नी व प्रेमी को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 06.05.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत परशुराम तालाब की रहने वाली मृतक की पुत्री द्वारा सूचना दी गई की मेरी मां और उसके प्रेमी द्वारा दोनों ने मिलकर मेरे पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जिसके सम्बन्ध थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के क्रम मे कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलें में उसकी पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुडिया पत्नी मायाराम निवासी परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. गोपालदास उर्फ पुतुवा पुत्र रामसिंह निवासी पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 427/25 धारा 108 बीएनएस व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गौतम सोनी
2. कां0 भूपेन्द्र सिंह
3. कां0 गवेन्द्र सिंह
4. म0कां0 बबली